



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2011—आश्विन 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-29-2010-2-पांच(25).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (ई. एस. आई. सी.) द्वारा रीजनल ओकेशनल इंस्टीट्यूट फार बूमेन (आर. वी. टी. आई.) इन्दौर के पक्ष में निष्पादित, ग्राम भमोरी दुबे, जिला इन्दौर स्थित 5.01 एकड़ भूमि से संबंधित दान की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-29-2010-2-पांच(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-29-2010-2-पांच, (25) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 27th September 2011

No. F-B-4-29-2010-2-V(25).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the instrument of gift executed by Employees State Insurance Corporation (E.S.I.C.) in favour of Regional Vocational Training Institute for Women (R. V. T. I.) Indore relating to 5.01 acre of land situated at village Bhamori Dubey, district Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-29-2010-2-पांच(26).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (ई. एस. आई. सी.) द्वारा रीजनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट फार वूमेन (आर. वी. टी. आई.) इन्डौर के पक्ष में निष्पादित, ग्राम भमोरी दुबे, जिला इन्डौर स्थित 5.01 एकड़ भूमि से संबंधित दान की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-29-2010-2-पांच(26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-29-2010-2-पांच, (26) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 27th September 2011

No. F-B-4-29-2010-2-V(26).—In exercise of the powers conferred by 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, remits the Registration Fees chargeable on the instrument of gift executed by Employees State Insurance Corporation (E.S.I.C.) in favour of Regional Vocational Training Institute for Women (R. V. T. I.) Indore relating to 5.01 acre of land situated at village Bhamori Dubey, district Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.